इसे वेबसाईट www.govtpressmp.nic.in से भी डाउन लोड किया जा सकता है.

मध्यप्रदेश राजपत्र

(असाधारण)
प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 287]　　भोपाल, बुधवार, दिनांक 8 जून 2011—ज्येष्ठ 18, शक 1933

स्कूल शिक्षा विभाग
मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल

भोपाल, दिनांक 8 जून 2011

क्र. एफ. 44-26-2011-बीस-2.—मध्यप्रदेश जनशिक्षा अधिनियम, 2002 (क्रमांक 15 सन् 2002) की धारा 36 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य सरकार, एतद्द्वारा मध्यप्रदेश जनशिक्षा नियम, 2003 में निम्नलिखित संशोधन करती है, अर्थात् :—

संशोधन

उक्त नियमों में, नियम 13 में,—

(एक) उपनियम (1) के स्थान पर, निम्नलिखित उपनियम स्थापित किया जाए, अर्थात् :—

"(1) प्रत्येक जनशिक्षा केन्द्र में, केन्द्र तथा इसके स्कूलों के बीच समन्वयक के रूप में कार्य करने के लिए दो जन शिक्षक होंगे. उच्च श्रेणी शिक्षक या अध्यापक का जन शिक्षक के पद हेतु चयन किया जाएगा. जनशिक्षक के चयन हेतु एक समिति गठित की जाएगी."

(दो) उपनियम (2) के स्थान पर, निम्नलिखित उपनियम स्थापित किया जाए, अर्थात् :—

"(2) जनशिक्षक, उच्च श्रेणी शिक्षकों तथा अध्यापकों में से चयनित किए जाएंगे."

Bhopal, the 8th June 2011

No. F-44-26-2011-XX-2.—In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of Section 36 of Madhya Pradesh Jan Shiksha Adhiniyam, 2002 (No. 15 of 2002) the State Government, hereby makes the following amendments in the Madhya Pradesh Jan Shiksha Niyam, 2003, namely :—

AMENDMENTS

In the said rules, in rule 13,—

(i) for sub-rule (1), the following sub-rule shall be substituted, namely:—

"(1) Each Jan Shiksha Kendra shall have two Jan Shikshak to act as co-ordinator between Kendra and its schools. The Upper Division Teacher or Adhyapak shall be selected for the post of Jan Shikshak. A committee shall be formed to select Jan Shikshak."

(ii) For sub-rule (2), the following sub-rule shall be substituted, namely :—

"(2) Jan Shikshak shall be selected from amongst Upper Division Teachers and Adhyapaks."

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
शोभा इवनाती, उपसचिव.

नियंत्रक, शासकीय मुद्रण तथा लेखन सामग्री, मध्यप्रदेश द्वारा शासकीय केन्द्रीय मुद्रणालय, भोपाल से मुद्रित तथा प्रकाशित—2011.